तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1-11-19	वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 11-10- की पालना में स्टाम्प ड्यूटी पेश की। शामिल पत्रावली की गई। निर्णय की पालना में अन्तिम डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की गई। कपिला यादव सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 340/2017

1 गौरव पुत्र प्रवीण कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 मोतीलाल } पिसरान बालकिशन जाति अग्रवाल निवासी दुकान नम्बर 69, नई धान
2 नवनीत कुमार } धान मण्डी, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।
3 बलजिन्द्र सिंह वल्द अंग्रेज सिह जाति जटसिख निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
4 कलवन्त सिंह पुत्र रण सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
5 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री वजनदीपसिंह मान अधिवक्ता — वादी
2. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 5

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 11.10.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 21 एच.एम. एच. तहसील हनुमानगढ की जमाबन्दी सम्वत 2071–74, खाता संख्या 5/75 में पत्थर नम्बर 116/286, मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 4, 7, 8/.253 हैक्टर प्रत्येक व पत्थर नम्बर 114/287, मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 4 ता 7/.253 प्रत्येक, कुल 1.771 हैक्टर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन रास्ता, खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस कृषि भूमि में वादी के नाम से 0.061 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादी के नाम से 0.061 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इस कृषि भूमि का अर्सा दराज पूर्व वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू तौर पर बंटवारा हो गया था, इस बंटवारे के अनुसार वादी को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से पत्थर नम्बर 114/287, मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5/.030 हैक्टर व 6/.031 हैक्टर पूर्व दिशा की तरफ पत्थर नम्बर 115/287 के किला नम्बर 1 व 10 के साथ चिपते कुल 0.061 हैक्टर भूमि घराघरू बंटवारे में प्राप्त हुई और तब से आज तक वादी का अपनी इस कृषि भूमि पर निर्विवाद व निरन्तर रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने घरू बंटवारा के बाद इस कृषि भूमि में सुधार कार्य किये तथा इसे अच्छी उपजाऊ योग्य बनाया।

उक्त खाता के सभी खातेदारो के मध्य हिस्सा, सीव, बट व रकमराज के सम्बन्ध में विवाद रहता है तथा कृषि भूमि पर ऋण व वित्तीय सहायता नही प्राप्त हो रही है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया कि वे सभी अपने अपने कब्जे काश्त के अनुसार कृषि भूमि का खाता तक्सीम करवा लेवे। प्रतिवादीगण पहले तो आजकल आजकल कहकर टालते रहे, परन्तु अब एक सप्ताह पूर्व इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है।

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 सहखातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 भू-धारक है इस कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद, वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :-

(क) वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि चक 21 एच.एम.एच."ए", तहसील हनुमानगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2071-74, खाता संख्या 5/75 का खाता तक्सीम कर वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 114/287, मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5/.030 हैक्टर व 6/.031 हैक्टर पूर्व दिशा की तरफ पत्थर नम्बर 115/287 के किला नम्बर 1 व 10 के साथ चिपते कुल 0.061 हैक्टर का खाता अन्य सह खातेदारो से पृथक कायम कर रकम राज पृथक किये जावे

(ख) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादी को दिलवाया जाना उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बाद तलवी उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 विरूद्ध दिनांक 30.01.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 65की ओर से राज पैराकार द्वारा जवाव स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें से वादी के साक्ष्य शपथ पत्र प्राप्त किये जाकर वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया वादी विवादीत आराजी में रिकार्डेड खातेदार होनें व पक्षकारान के मध्य अपनें खातेदारी भूमि का विभाजन का विवाद होनें तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें से वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर दिनांक 04.05.2018 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ को चक 21 एच.एम.एच. "ए", तहसील हनुमानगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2071-74, खाता संख्या 5/75 की कुल 1.771 हैक्टर भूमि में वादी के नाम 0.061 हैक्टर कृषि भूमि का हक हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी व खराव में से खराव भूमि के हिसाब से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए खाला व रास्ता की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु तहसीलदार हनुमानगढ़ को अधिकृत किया गया।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा अपनें पत्रांक भू.अ./2019/1581 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति जाहीर नहीं करते हुए मुताविक विभाजन प्रस्ताव वादी की भूमि का विभाजन किये जानें हेतु निवेदन किये जानें पर तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-:: आदेश ::-

अतः तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि चक 21 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2075-78, खाता संख्या 44/5 में पत्थर नम्बर 116/286, मुरब्बा नम्बर 19

लगातार 3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

(राजस्व वाद संख्या :- 340/2017 अनवान गौरव बनाम मोतीलाल)

किला नम्बर 4, 7, 8/.253 हैक्टर प्रत्येक व पत्थर नम्बर 114/287, मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 4 ता 7/.253 प्रत्येक, कुल 1.771 हैक्टर में से वादी के हिस्सा की 0.061 हैक्टर भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. वादी संख्या गौरव पुत्र प्रवीण कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एच.एम.एच."ए".	144/287 (31)	5/.0305, 6/.0305	0.0610 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 340/2017

1 गौरव पुत्र प्रवीण कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 मोतीलाल } पिसरान बालकिशन जाति अग्रवाल निवासी दुकान नम्बर 69, नई धान
2 नवनीत कुमार } धान मण्डी, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।
3 बलजिन्द्र सिंह वल्द अंग्रेज सिह जाति जटसिख निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
4 कलवन्त सिंह पुत्र रण सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
5 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 53, आर.टी.ए. बाबत विभाजन
निर्णय दिनांक :– 11.10.2019

वादी की और से श्री वतनदीपसिंह मान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें तथा प्रतिवादी संख्या 5 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 1-11-2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि चक 21 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ की जमाबन्दी सम्वत 2075–78, खाता संख्या 44/5 में पत्थर नम्बर 116/286, मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 4, 7, 8/.253 हैक्टर प्रत्येक व पत्थर नम्बर 114/287, मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 4 ता 7/.253 प्रत्येक, कुल 1.771 हैक्टर में से वादी के हिस्सा की 0.061 हैक्टर भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या गौरव पुत्र प्रवीण कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एच.एम.एच."ए".	144/287 (31)	5/.0305, 6/.0305	0.0610 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 1-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	[illegible]	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 13:30:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: